

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/46/24/558  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/6/15

संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)

विषय :- पुराने प्रांगण के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ :- प्रबंध संचालक का पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/46/24/  
746-47 दिनांक 22/08/14 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 782 दि. 3.9.14  
एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 967 दिनांक 10.11.2014 एवं अर्द्धशासकीय  
पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 16.12.14 एवं क्रमांक 502 दि. 23.5.15


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। अधिकांश मंडी समितियों पुराने प्रांगण से नये प्रांगण में स्थानांतरित हो गई हैं। अतः पुराने प्रांगण में अतिक्रमण होने एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रांगण का उपयोग किया जा रहा है जिससे मंडी समिति को कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

आपके संभाग अंतर्गत जहाँ-जहाँ पुराने प्रांगण से नवीन मंडी प्रांगण में मंडी समितियों स्थानांतरित हो गई है एवं पुराने प्रांगण का मंडी समिति द्वारा कोई उपयोग/कार्य योजना हो तो कार्ययोजना की स्थिति चाही गई थी एवं प्रांगण का उपयोग नहीं हो रहा हो तो प्रांगण की भूमि/भवन का कलेक्टर दर पर मूल्यांकन कराकर कुल मूल्य की जानकारी तत्काल चाही गई थी, जो अपेक्षित है।

अतः प्रांगण की भूमि/भवन का कलेक्टर दर पर मूल्यांकन कराकर कुल मूल्य की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजी जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा प्रत्येक माह की विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक एवं संयुक्त संचालक/उपसंचालक की मासिक बैठक में उक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गई कार्यवाही/प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र।

  
अपर संचालक (प्रांगण)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगणों की भूमि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी भेजने बाबत प्रपत्र।

क	मंडी / उपमंडी का नाम	पुराने प्रांगण की अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	पुराने प्रांगण का रकबा (एकड़ में) पटवारी हल्का नंबर / खसरा नंबर	पुराने प्रांगण की रजिस्ट्री या नामांतरण की स्थिति	पुराने प्रांगण की भूमि शासकीय है अधिग्रहित की है या निजी है की स्थिति	प्रांगण का अधिपत्य कब से है और किसके आदेश से	पुराने प्रांगण के अतिक्रमण की स्थिति				यदि हा तो प्रकरण में वर्तमान स्थिति (स्थगन हो तो भी स्पष्ट करें)	वर्तमान में इस पुराने प्रांगण में मंडी द्वारा संचालित गतिविधि	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर कुल मुल्य	
							यदि अतिक्रमण है तो पक्का है या अस्थायी	अतिक्रमण का प्रकार (रिहायशी / दुकान / वाणिज्यक उपयोग / गोदाम या अन्य	क्या अतिक्रमण पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत है (हां या नहीं)	पुराने प्रांगण के कुल रकबे में अतिक्रमण मुक्त रकबा (एकड़ में)			भूमि	भवन (निर्मित संरचना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														

संयुक्त संचालक / उप संचालक  
 म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 आंचलिक कार्यालय.....